इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अगस्त 2015—श्रावण 13, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 4230-240-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 1 अगस्त 2015 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०१५

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १ अगस्त, २०१५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ४ अगस्त, २०१५ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०१५ है.

३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वर्ष के कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से ३,०२,७८,८८,४६४ रुपयों का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट वे राशियां, जिनका कुल योग तीन सौ दो करोड़ अठहत्तर लाख अठासी हजार चार सौ चौंसठ रुपये होता है, उक्त अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत् प्रभारों को चुकाने के लिये, ३१ मार्च १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान उन रकमों से, जो उन सेवाओं के लिये और उस वर्ष के लिये मंजूर की गई थी, अधिक व्यय हुई रकमों की पूर्ति करने के लिये दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी जायेगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम के अधीन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी और उपयोजित की जाने के लिये प्राधिकृत की गई समझी गई राशियां, अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, १९९८ को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई समझी जाएगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान क्रमांक	(२) सेवाएँ और प्रयोजन		(३) आधिक्य		
			मतदत्त	भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा				
		राजस्व		८,८३,७७,२२६	८,८३,७७,२२६
७.	वाणिज्यिक कर				
		राजस्व	२३,३५,१७०	०	२३,३५,१७०
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		राजस्व	९५,५१,७६,३७८		९५,५१,७६,३७८
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
		पूंजीगत	९०,३९,७२३		९०,३९,७२३
२१.	आवास एवं पर्यावरण				
		पूंजीगत	४,१०,९९,५२२		४,१०,९९,५२२
२४.	लोक निर्माण (सड़क तथा पुल)				
		राजस्व	४१,०७,१६,७८३	०	४१,०७,१६,७८३
२७.	स्कूल शिक्षा				
		राजस्व	५४,१५,०९,६९३		५४,१५,०९,६९३
३१.	योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी				
		राजस्व		४,५३२	४,५३२

(१)	(२)		(३)		
			रुपये	**रुपये**	रुपये
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं अकाल राहत पर व्यय (राजस्व).				
		राजस्व	३८,४७,१९,५६८		३८,४७,१९,५६८
६१.	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण).				
		पूंजीगत	७३,३१,३६१		७३,३१,३६१
६७.	लोक निर्माण (भवन)				
		राजस्व	५८,६८,१८,८८४	**२,६७,०२४**	५८,७०,८५,९०८
६९.	नगरीय प्रशासन एवं विकास				
		पूंजीगत	४,९२,६००		४,९२,६००
	योग :	राजस्व	**२,८८,१२,७६,४७६**	**८,८६,४८,७८२**	**२,९६,९९,२५,२५८**
		पूंजीगत	**५,७९,६३,२०६**	**०**	**५,७९,६३,२०६**
	कुल योग :		**२,९३,९२,३९,६८२**	**८,८६,४८,७८२**	**३,०२,७८,८८,४६४**

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2015

क्र. 4231-240-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 2015

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2015.

[Received the assent of the Governor on the 1st August, 2015 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 4th August, 2015.]

An Act to provide for the athorization of appropriation of money out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to Meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of the March, 1998 in excess of the amounts granted for those services and for that year.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2015.

Issue of Rs. 3,02,78,88,464 out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh to meet certain excess expenditute for the year ended on 31st March, 1998.

2. **From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh the sums specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Three Hundred Two Crores Seventy Eight Lakhs Eighty Eight Thousands Four Hundred Sixty Four Rupees shall be deemed to have been authorised to be paid and applied to meet the amount spent on defraying the charges in respect of the services specified in column (2) of the said Schedule during the financial year ended on the 31st day of March, 1998 in excess of the amounts granted for those services and that year.**

Appropriation.

3. **The sums deemed to have been authorised to be paid and applied from and out of the applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh under this Act shall be deemed to have been appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the financial year ended on the 31st day of March 1998.**

THE SCHEDULE

(*See* Section 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Service & purpose		(3) Excess		
			Voted	Charged	Total
			Rs.	**Rs.**	Rs.
Public Debt.	Interest Payment and Servicing of Debt.				
		Revenue		**8,83,77,226**	8,83,77,226
07.	Commercial Tax				
		Revenue	23,35,170	**0**	23,35,170
20.	Public Health Engineering				
		Revenue	95,51,76,378		95,51,76,378
20.	Public Health Engineering				
		Capital	90,39,723		90,39,723

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	**Rs.**	Rs.
21.	Housing and Environment Deptt.	Capital	4,10,99,522		4,10,99,522
24.	Public Work—R & B.	Revenue	41,07,16,783	**0**	41,07,16,783
27.	School Education	Revenue	54,15,09,693		54,15,09,693
31.	Planning Economics and Statistics Deptt.	Revenue		**4,532**	4,532
58.	Exp. on Relief on Account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	38,47,19,568		38,47,19,568
61.	Externally Aided Project Pertaining to Public Health and Family Welfare Deptt.	Capital	73,31,361		73,31,361
67.	Public Work Building	Revenue	58,68,18,884	**2,67,024**	58,70,85,908
69.	Urban Administration and Development-Urben Welfare.	Capital	4,92,600		4,92,600
	Total :	Revenue	**2,88,12,76,476**	**8,86,48,782**	**2,96,99,25,258**
		Capital	**5,79,63,206**	**0**	**5,79,63,206**
	Grand Total :		**2,93,92,39,682**	**8,86,48,782**	**3,02,78,88,464**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.